# अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
# राष्ट्रीय साधारण सभा
### 7 अक्टूबर 2018, इन्दौर ( म.प्र. )

**प्रस्ताव क्र. : 1**

## मातृशक्ति के उत्कर्ष एवं सम्मान की आवश्यकता

यहाँ नाना विचारधाराएँ अपने-अपने पूर्वाग्रहों और वादों के चश्मों से स्त्रियों की ओर अलग-अलग ढ़ंग से देखती रही हैं। तथोक्त 'आधुनिक' पाश्चात्य चिन्तन में नारी को प्राय: पुरुष से निम्न कोटि का माना गया तथा उसका एक व्यक्ति के रूप में संकुचन कर दिया गया और इसलिए उससे उम्मीद की गई कि वह अपने अधिकारों का दावा करे। दूसरी ओर कम्युनिज्म हर मुद्दे को वर्ग-संघर्ष के कोण से देखता है। इस मामले में भी वह पुरुष द्वारा स्त्री को सताया गया मानकर उसे संस्कृति, कुटुम्ब और पन्थ के बन्धनों से मुक्त होकर स्वतन्त्र होने की सीख देता है।

इसके विपरीत भारतीय चिन्तन एकत्वदृष्टि से युक्त है। यहाँ स्त्री-पुरुष असम्बद्ध नहीं हैं बल्कि परस्पर-सम्बद्ध हैं, परस्पर पूरक हैं, परस्पर निर्भर हैं। स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर ही एक सकल-अविकल इकाई बनते हैं। अर्धनारीश्वर की संकल्पना भी यही कहती है। विश्व के शेष धर्मों में प्राय: ईश्वर का पुरुष रूप ही पूजित है, लेकिन भारत का यह वैशिष्ट्य है कि इसमें ईश्वर को मातृरूप में भी देखा गया है। मातृशक्ति की यह पूजा बेहद खास है।

भारतीय मनीषा दाम्पत्य में अद्वैतभाव मानती है, अत: तुलना का कोई विशेष अर्थ नहीं है; तथापि जहाँ तुलना हुई है वहाँ नारी को ही भारी पाया गया है -'माता गुरुतरा मता।' वेदकाल का आचार्य भी अपने अन्तेवासी के दीक्षान्त में पहला उपदेश 'मातृ देवो भव' का ही देता था, तदुपरान्त 'पितृ देवो भव' और 'आचार्य देवो भव' का उपदेश होता था। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' वाली मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है कि दस उपाध्याय मिलकर एक आचार्य के तुल्य होते हैं, सौ आचार्य मिलकर एक पिता के बराबर होते हैं तथा हजार पिता मिलकर भी एक माता की बराबरी नहीं कर सकते हैं।

'मातृ'- संज्ञा भारतीय वाङ्मय की पवित्रतम संज्ञा है। पश्चिम के विपरीत यहाँ नारी को भोग्या नहीं, पूज्या माना गया है। पश्चिम की तरह भारत में महिला सशक्तिकरण की महिलाओं ने शुरू नहीं की यहाँ तो सामान्य समाज में परस्त्री के प्रति माता के समान व्यवहार - **'मातृवत् परदारेषु'** यह तो भारतीय स्त्री-विमर्श की सर्वमान्य सर्वोच्च दृष्टि रही है, यहाँ तक कि परमहंस रामकृष्ण जैसे मातृत्व के ऐसे अनन्य उपासक भी हुए कि जो अपनी विधिवत् परिणीता धर्मपत्नी को भी माता भवानी के रूप में पूजने लगे; इसे क्या कहा जाए! यह तो बेजोड़ है। वस्तुत: यह मातृदृष्टि किसी न किसी रूप में हमारी पूरी परम्परा में सूक्ष्मता से अनुस्यूत है। यहाँ सामान्य गृहस्थ भी अपनी पत्नी को सीधे मातृरूप में भले सम्बोधित न करता हो, पर वह भी कहीं न कहीं उसे रामू की माँ, श्यामू की माँ - जैसी मातृमूलक अभिव्यक्तियों से पुकारता रहा है।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था- "The best thermometer to the progress of a nation is the treatment of its women. The idea of perfect womanhood is perfect independence." अर्थात् किसी देश की प्रगति का अत्युत्तम मानदण्ड उस देश का नारी-सम्बन्धी व्यवहार है। नारी की पूर्णता ही नारी की पूर्ण स्वतन्त्रता है। यह केवल स्वामी विवेकानन्द का कथन नहीं है, प्रत्युत हमारी सनातनी संस्कृति की स्वाभाविकता यही है। नारी के इस पूर्णत्व का प्रकटीकरण प्राचीन काल से आज तक अनेक भारतीय नारी-रत्नों द्वारा उच्चतम आदर्शों की स्थापना से हुआ है जिन्होंने अपने सुकृत्यों एवं सेवाओं से नारी जाति के नाम को उज्जवल किया है। प्रज्ञान के क्षेत्र में गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदूषी, शौर्य के लिए वीरमाता जिजाबाई, अहिल्या देवी होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, समाज सुधार में स्त्री शिक्षा हेतु सावित्रीबाई फुले आदि भारतीय तेजस्वी स्त्रियों के अनेक आदर्श अपनी आँखों के सामने दिखाई देते हैं और उनके कार्य भी आज के दौर में सराहनीय तथा मानक होते हैं।

किन्तु नारी-विषयक इस उज्ज्वल अतीत के होते हुए भी कलिकाल के प्रभाव से आज नारी-विषयक हमारी दृष्टि दूषित हुई है और उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान, अत्याचार, स्वेच्छाचार, यौनापराध, शोषण, घरेलू हिंसा, लिंगभेद, भ्रूणहत्या जैसी बुराइयों से स्त्री समाज त्रस्त है तथा नारी विषयक इन समस्याओं ने अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। इस सन्त्रास से समाज के अर्धभाग की विमुक्ति का दायित्व पूरे समाज का, विशेष रूप से बौद्धिक वर्ग का है जिसमें शिक्षक एक प्रमुख घटक है।

अत: अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यह साधारण सभा शिक्षक-समाज के समक्ष प्रस्ताव करता है कि हम सब मातृशक्ति के समुचित सम्मान के लिए उद्यत हों। अपने गृह-परिवार से लेकर कार्यस्थल तथा समाज में जहाँ भी हम वर्तन करते हैं, वहाँ नारी-समाज के प्रति हमारा दृष्टिकोण पूर्ण सकारात्मक, सम्मानजनक तथा अन्यों के लिए मानक हो। आज देहरी के दीपक की भाँति मातृशक्ति घर और बाहर - दोनों को प्रकाशित कर रही है। अत: वह बराबरी ही नहीं अपितु विशेष दर्जे की अधिकारिणी है। मातृशक्ति के सभी रूपों (माता, भगिनी, सहधर्मिणी, सहकर्मिणी, मित्र आदि) की गरिमा की रक्षा और उसके लिए समान अवसरों की कल्पना समाज में हर स्तर पर सुनिश्चित हो, इसके लिए हम शिक्षक भी अपने कार्यक्षेत्र और प्रभाव-क्षेत्र में सदैव सचेष्ट रहें।

अपने घर परिवारों में एवं कार्यक्षेत्र में मातृसमाज की निर्णय में भागीदारी हम सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाएँ। अपना मातृसमाज के प्रति सम्मान हमारे दैनन्दिन व्यवहार में परिलक्षित होना चाहिये। स्त्री-शक्ति का उत्कर्ष तमाम समाज के उत्कर्ष को गतिमान् करने वाली प्रभावी शक्ति सिद्ध हो। नारी भी अपनी गुणवत्ता को सुरक्षित रखते हुए पूर्णता की ओर अग्रसर हो, तो पुरुष भी स्त्री के प्रति अपनी दृष्टि का शोधन करे। स्त्रीवादी (Feminist) दृष्टिकोण नहीं, मानवीय (Humanist) दृष्टिकोण के साथ चलें। मातृशक्ति का उत्कर्ष भारत के विश्व गुरुत्व के लक्ष्य में साधक बने, इस प्रस्ताव का उद्दिष्ट यही है।

❑❑❑

# अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

# राष्ट्रीय साधारण सभा

**7 अक्टूबर 2018, इन्दौर ( म.प्र. )**

**प्रस्ताव क्र. : 2**

## शिक्षा में नवोन्मेष

विश्व के बदलते हुए परिदृश्य में जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं, शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रह सकती। जो समाज अपनी व्यवस्था में नवाचारों को कोई स्थान नहीं देता, वह समय के साथ कदमताल करते हुए प्रगति नहीं कर सकता।

शिक्षा स्वयं परिवर्तन का आधार रही है अत: विषय यदि शिक्षा से नवाचार से जुड़ा हो तो देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के बिंदुओं पर गहनता से कार्य करना और भी आवश्यक हो जाता है।

शिक्षण एवं अधिगम के नए मॉडल परंपरागत मॉडल के सामने बड़ी चुनौतियाँ उपस्थित कर रहे हैं। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम व मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (MOOCs) जैसी संकल्पनाएँ सामयिक उदाहरण है। जहाँ तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में तेजी से पाँव पसार रही है वहीं शासकीय एवं निजी संस्थानों में तकनीक के प्रयोग को लेकर अत्यंत विषमता है। देश की अधिकांश शासकीय संस्थानों में इंटरनेट कंप्यूटिंग व अद्यतन सॉफ्टवेयर की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं है।

आज का विद्यार्थी मोबाइल के माध्यम से दुनिया मुट्ठी में लेकर चलता है परंतु वह इस यंत्र का शिक्षा के क्षेत्र में सही प्रयोग नहीं जानता। सोशल मीडिया के ज्ञानात्मक एवं समाजोपयोगी पक्षी के प्रति अधिकांश विद्यार्थी जागरुक नहीं है ऐसे में वे सिर्फ सोशल मीडिया के उस पक्ष तक जुड़ पाते हैं जो केवल मनोरंजन का हेतु है। भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की इस साधारण सभा का मानना है कि तकनीक का विवेकसम्मत प्रयोग ही विद्यार्थी को अपेक्षित दिशा प्रदान कर सकता है।

तकनीक के विकास से ज्ञान की नवीन आयामों के प्रस्फुटन के साथ शिक्षकों की जवाबदेही और अधिक बढ़ जाती है। महासंघ शिक्षकों से अपेक्षा करता है कि विद्यार्थियों में ज्ञान एवं तर्कक्षमता के विकास के साथ मानवीय गुणों का विकास भी समानांतर प्रक्रियाओं के माध्यम से करने में अपनी भूमिका निभाए तथा स्वयं को शिक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में उपयोगी तकनीक से अद्यतन रखें।

महासंघ की यह साधारण सभा केंद्र एवं राज्यों की सरकार से माँग करती है कि शिक्षकों के पेशेगत विकास हेतु तकनीक संबंधी निरंतर प्रशिक्षण एवं अद्यतन तकनीकी सुविधाओं हेतु बजट प्रावधान किए जाएँ। शासकीय संस्थानों में समुचित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सुविधाओं के बिना अपेक्षित तकनीकी नवाचार संभव नहीं हो सकते हैं। साथ ही नवीनतम तकनीकी के प्रयोग हेतु शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाए क्योंकि यदि शिक्षक स्वयं नवीनतम तकनीक के साथ सहज नहीं है तो शिक्षण अधिगम एवं समाज के उपयोगार्थ उससे तकनीक के प्रभावी प्रयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

महासंघ की साधारण सभा का यह सुविचारित मत है कि केवल मशीनीकरण एवं परिणाम केंद्रित प्रणाली से ही विद्यार्थी और समाज का भला नहीं हो सकता। शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है उसे समाज व समाज के सरोकारों से जोड़ना। किंतु स्वतंत्रता के 71 वर्षों के बाद भी हम इस दिशा में परिणामकारी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाए हैं। समाज एवं शिक्षण संस्थाएँ एक दूसरे से पूर्णतया विलगित दिखाई देती है।

महासंघ नीति निर्माताओं से यह अपेक्षा करता है कि शिक्षा संस्थानों में ऐसी नवोन्मेषी गतिविधियों का संचालन हो जिससे विद्यार्थियों को समाज से जुड़कर उसकी गतिकी समझने का अवसर मिले। शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज के वंचित गरीब एवं ग्रामीण समुदायों में कुछ दिन से कुछ महीनों तक विद्यार्थी कार्य करें उनसे जुड़ें और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशाएँ खोजें। इससे समाज व शिक्षण संस्थाओं में अंतर्संबंध योग्य प्रकार से विकसित हो सकेगा।

महासंघ की सभा का मानना है कि नवोन्मेष के प्रकल्पों के कार्यान्वयन व योजना की व्यवस्था स्थानीय संसाधनों व आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। शासन द्वारा बिना विशिष्ट एवं विकेंद्रित अध्ययन किए बनाई गई कार्ययोजनाओं को ऊपर से सीधे शिक्षा संस्थानों में थोपे जाने से प्रभावकारी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

साधारण सभा का यह सुविचारित मत है कि परंपरागत एवं नई तकनीक आधारित नवोन्मेषी विधियों से हम एक ऐसा शैक्षणिक वातावरण बना सकते हैं जो विद्यार्थी में प्रयोगधर्मी रचनात्मक एवं समाजोपयोगी प्रवृत्ति का विकास कर सके। शिक्षा में नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का संयोजन अर्थात् नवीन व शाश्वत का यह विवेकसम्मत योग ही भविष्य के भारत का निर्माण करेगा।

❑❑❑

# अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

# राष्ट्रीय साधारण सभा

**7 अक्टूबर 2018, इन्दौर ( म.प्र. )**

**प्रस्ताव क्र. : 3**

## शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अविलम्ब किया जाये

शिक्षा एवं शिक्षकों की अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जो लम्बे समय से शासन की उपेक्षा के कारण अनिर्णीत हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की अपेक्षा है कि वर्तमान संवेदनशील सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही करेगी।

1. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू किया जाये।
2. 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पुनः बहाल की जाये।
3. सम्पूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाये।
4. शैक्षणिक पदों पर नियमित एवं स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाये और शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुदृढ़ एवं नियमित व्यवस्था हो।
5. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को समयबद्ध सी.ए.एस. का लाभ सुनिश्चित किया जाये।
6. कार्यरत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से मुक्त किया जाये।
7. अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन भुगतान की कोषागार भुगतान व्यवस्था हो।
8. सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा प्रदान कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो।
9. प्रोन्नति के लिए पूर्व सेवाकाल को गणना में सम्मिलित किया जाये।
10. पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक एवं अन्य समान सेवाओं की शिक्षकों के साथ समकक्षता स्थापित हो।
11. शिक्षकों से केवल शैक्षिक कार्य ही कराए जायें।
12. राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय जीवन मूल्यों, मानव एवं चरित्र निर्माण, सामाजिक सरोकार, मौलिक चिन्तन, शोध एवं नवाचार से युक्त सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति की पुनःसंरचना की जाये।
13. शिक्षा व्यवस्था के नियोजन, नियमन एवं नियन्त्रण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त नियामक शिक्षा आयोग का निर्माण हो।
14. सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा राज्य अपने बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करे ताकि आधारभूत सुविधाएँ जैसे शिक्षक, पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध हो सकें।
15. सम्पूर्ण देश में शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल किया जाये एवं शिक्षा सम्बन्धी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद हो।
16. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को सुसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जाये तथा उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं प्रदान की जाये।
17. प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में ही दी जाये।
18. शिक्षा के बाजारीकरण पर नियन्त्रण सुनिश्चित हो।
19. मिड-डे-मील योजना के प्रबंधन व क्रियान्वयन से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए।
20. पीएच.डी. गाइड नियमों का सरलीकरण किया जाये।
21. एनसीईआरटी पूर्णतया शिक्षाविदों से युक्त स्वायत्त संस्था बने।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा केन्द्र एवं राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर शिक्षकों को उनका न्यायोचित अधिकार प्रदान करें।

❑❑❑